

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Ltd.

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U40101UP2004SGC028687

GSTN: 09AAACU8823E1Z9

कारपोरेट टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल
द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
रैक्स संख्या - 8320



Corporate Tax & GST Cell
IInd Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg, Lucknow-226001
E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

पत्रांक 18 / का०टैक्स एवं जी०एस०टी० / 2020

दिनांक 13/02/2020

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०

मुख्य अभियन्ता (डी० एण्ड पी०) / 765 केवी / सी०
एण्ड सी० / सी०एम०यू०डी० जानपद (i) / (ii)
पारेषण मध्य / पूर्व / पश्चिम / दक्षिण
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०
लखनऊ / इलाहाबाद / मेरठ / आगरा।

विषय:- Government Entity को प्राप्त होने वाले लाभों के सम्बन्ध में।

अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग उत्तर प्रदेश के आदेश सं० 50 दिनांक 17.01.2020 द्वारा उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० Government Entity की परिभाषा को पूर्ण करता है अतः उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० जी०एस०टी० नियमों के अनुसार Government Entity है।

जी०एस०टी० एक्ट 2017 के अनुसार Government Entity को निम्नलिखित लाभ प्राप्त है:

1. जीएसटी की अधिसूचना संख्या 32/2017-CT(Rate) दिनांक 13.10.2017 के अनुसार Government Entity द्वारा केन्द्र सरकार / राज्य सरकार अथवा लोकल अथॉरिटी को दी जाने वाली सेवाओं पर, जिसका प्रतिफल केन्द्र सरकार / राज्य सरकार अथवा लोकल अथॉरिटी द्वारा अनुदान (Grant) के रूप में दिया जायेगा, जी.एस.टी. की दर शून्य होगी।
2. मध्यस्थ न्यायाधिकरण / अधिवक्ताओं की साझेदारी फर्म / व्यक्तिगत वकीलों द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सेवाओं के भुगतान पर RCM के तहत जी०एस०टी० देय नहीं होगा।
3. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, स्थानीय निकाय द्वारा भूमि के पट्टे के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जी०एस०टी० देय नहीं होगा।
4. निगम द्वारा आवासीय परिसर जिसका उपयोग स्वयं के प्रयोजन से हो या उनके कर्मचारियों के प्रयोगार्थ हो के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने पर ठेकेदारों को देय जी०एस०टी० की दर 12 प्रतिशत लागू होगी।

(एल०के० गुप्ता)

महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

दिशा-निर्देश: / उ०प्र० / का०टैक्स एवं जी०एस०टी० / 2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) / वित्त / आपरेशन / कार्य एवं परि० / एस०एल०डी०सी / वाणिज्य एवं नियोजन उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन / गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा), उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य / पूर्व / पश्चिम / दक्षिण, लखनऊ / इलाहाबाद / मेरठ / आगरा।
5. उप महाप्रबन्धक (निधि) / मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई (पारेषण मुख्यालय), उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:- यथोपरोक्त